# अध्याय V
# वर्गीकरण

नमूना जाँच में ध्यान में आए माल के वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 1.59 करोड़ के सीमा शुल्क के कम लगाए जाने/नहीं लगाए जाने के कुछ मामलों की निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है। मंत्रालय को इन आपत्तियों के बारे में छः ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों द्वारा सूचित किया गया था।

## 5.1 इनसेक्टीसाइडस, रोडेन्टीसाइडस, फन्गीसाइडस और हरबिसाइडस

'इनसेक्टीसाइडस, रोडेन्टीसाइडस, फन्गीसाइडस और हरबिसाइडस' को सीमा शुल्क सूची शीर्ष (सीटीएच) 3808 के अन्तर्गत वर्गीकृत और 10 प्रतिशत की दर से मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) में उदग्राह्य किया जाता है।

मैसर्स जे.यू पेस्टीसाइडस और केमिकल्स प्रा. लिमिटेड और मैसर्स ट्रोपिकल एगरो सिस्टम (इंडिया) लिमिटेड ने चैन्नई (समुद्री) कमीश्नरी से ₹ 30.10 करोड़ मूल्य के "95 प्रतिशत तकनीकी इमिडेक्लोपरिड " के 44 परेषण, "95 प्रतिशत तकनीकी परैटिलैक्लोर " और इमिडेक्लोपरिड, हरबिसाइडस, फंगीसाइडस के रूप में प्रयोग होने वाले अन्य रसायनों की आयात (जनवरी से जुलाई 2009) किया। आयातित माल को सीटीएच 29420090/29201100 के अन्तर्गत अन्य ओरगेनिक कम्पाउन्ड /अन्य ओरगेनिक एसिड के ऐस्टर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया तथा 10 प्रतिशत की लागू दर की बजाय दिनांक 1 मार्च 2002 (क्रम सं.553) की अधिसूचना सं. 21/2002-सीमा शुल्क के अन्तर्गत रियायती बीसीडी की 7.5 प्रतिशत की दर से निर्धारण किया गया था।

क्योंकि यह माल ' पेस्टीसाइडस/इनसेक्टीसाइडस के लिए तकनीकी वर्ग के रसायन के लिए थे' दिनांक 29 जुलाई 2003 के बोर्ड के परिपत्र सं. 727/43/2003 सीएक्स और दिनांक 17 सितम्बर 2007 के 34/2007- सीमाशुल्क की शर्तों के अनुसार इन्हें सीटीएच 3808 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 87.47 लाख का शुल्क कम लगाया गया।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया(जुलाई/अक्तूबर 2009), विभाग ने बताया (सितम्बर 2009/जुलाई 2010) कि आयातकों को मांग नोटिस जारी कर दिए गए हैं। एक आयातक ने लेखापरीक्षा आपत्ति का विरोध किया जब कि अन्य ने अन्तरिम उत्तर दिया था। विभाग ने यह भी बताया कि अधिनिर्णयन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही हैं। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2010)।

हमने मंत्रालय को मामले के बारे में बताया (अक्तूबर 2010); उनका उत्तर प्राप्त नही हुआ था (दिसम्बर 2010)।

## 5.2 खाद्य सुगंधकारक सामग्री

सीमा शुल्क सूची अधिनियम के अध्याय 21 के अन्तर्गत नोट के अनुच्छेद 5 (बी) के अनुसार, मानव उपयोग हेतु सीधे या संशोधन के बाद (जैसे कि पकाने,पानी में घोलने या उबालने, दूध या अन्य द्रव्य) प्रयोग हेतु तैयार करते है। सीमा शुल्क सूची शीर्ष (सीटीएच) 2106 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है। 'खाद्य सुगंधकारक सामग्री' सीटीएच 21069060 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय और उन पर बीसीडी दिनांक 1 मार्च 2002 की अधिसूचना सं. 21/2002 सीमाशुल्क (क्रम सं. 47) के अन्तर्गत 30 प्रतिशत की दर से लगाई जानी चाहिए।

मैसर्स इंटरनेशनल फ्लेवर और फ्रेगरेंसस इंडिया लि. और मैसर्स सिमराइस प्राइवेट लि. ने चैन्नई (समुद्री) कमीश्नरी से ' टमाटर की सुगंध वाले पाउडर' के 20 परेषण आयात किए (मई से दिसम्बर 2009)। विभाग ने इन वस्तुओं को सीटीएच 33021010 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया और बीसीडी अधिसूचना 21/2002 (क्रम सं. 119) के अन्तर्गत 10 प्रतिशत की दर से लगाई। आयातित माल खाद्य सुगंध सामग्री होने से सीटीएच 21069060 के अन्तर्गत वर्गीकृत और उस पर अधिसूचना सं. 21/2002 (क्रम सं. 47) के अन्तर्गत 30 प्रतिशत बीसीडी उद्ग्राह्य है। इस माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 23.87 लाख का कम शुल्क लगाया गया था।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (अक्तूबर 2009, जनवरी और फरवरी 2010) विभाग ने बताया (जनवरी 2010) कि आयातित माल में सिंथेटिक एरोमेटिक रसायन और आवश्यक तेल थे। और इसलिए यह सीटीएच 330210 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय थे। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि संघटक विवरण से यह पता चला कि आयातित माल टमाटर /टमाटर के गूदे से निर्मित था। तदनुसार, यह सीटीएच 2106 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय था।

हमने मंत्रालय को मामले के बारे में सूचित किया (सितम्बर 2010), उनका उत्तर प्राप्त नही हुआ था(दिसम्बर 2010)।

## 5.3 वैजिटेबल वैक्सस

'वैजिटेबल वैक्सस' को सीमा शुल्क सूची शीर्ष (सीटीएच) 15211019 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है और 30 प्रतिशत की दर पर मूल सीमा शूल्क (बीसीडी) लगाई जाती है।

मैसर्स परफेंट्टी वेन मैल्ला इंडिया प्रा. लि. गुडगांव ने 'ट्रेन वैक्स आयल' के तीन परेषण आयात किए। विभाग ने आयातित माल को 'कृत्रिम वैक्स और तैयार वैक्स' के रूप में सीटीएच 34049090 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया और 10 प्रतिशत की दर से बीसीडी लगाई। हमने पाया कि 'ट्रेन वैक्स आयल' के संघटक खाद्य तेल, वैक्स एस्टर्स, खाद्य वसा और सोया लेसिथिन थे। यह उत्पाद पेस्ट्री और मिष्ठान के लिए एनहाइड्रस मोल्ड रिलिज एजेंट के रूप में प्रयोग होते हैं। इसके अतिरिक्त, आयातक मिष्ठान वाली वस्तुओं का उत्पादक था। तदनुसार, 'ट्रेन वैक्स आयल' को वैजिटेबल वैक्स के रूप में सीटीएच 15211019 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था और बीसीडी 10

प्रतिशत के बजाय 30 प्रतिशत की दर से लगाई जानी चाहिए थी। इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 14.78 लाख का कम शुल्क लगाया गया।

विभाग को इसके बारे में सूचित किया गया (नवम्बर/दिसम्बर 2009,फरवरी 2010), उनका उत्तर प्राप्त नही हुआ था (दिसम्बर 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नही हुआ था (दिसम्बर 2010)।

## 5.4 मरीन डीज़ल तेल (लाइट डीज़ल तेल (एलडीओ)

मरीन गैस तेल {उच्च स्पीड आयल (एचएसडी)} सीमा शुल्क शीर्ष (सीटीएच) 27101930 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है और इसपर बीसीडी 7.5 प्रतिशत की दर से और अतिरिक्त शुल्क ₹1.25/लीटर लगाया जाना चाहिए। किन्तु मरीन डीज़ल तेल {हल्का डीज़ल तेल (एलडीओ)} सीटीएच 27101940 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है और इसपर बीसीडी 10 प्रतिशत की दर से और अतिरिक्त शुल्क ₹ 2.50/ लीटर लगाया जाता है।

दो विदेशी रन वैसल के कोस्टल रन में परिवर्तन (अप्रैल/अक्तूबर 2007) से बंकरों में बचे तेल को एलडीओ का सीटीएच 27101940 के अन्तर्गत सही वर्गीकरण करने के बजाय एचएसडी के रूप में सीटीएच 27101930 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया और कम दरों पर शुल्क लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹12.88 लाख का शुल्क कम लगाया गया।

जब हमने ध्यान दिलाया (फरवरी 2007/दिसम्बर 2009), विभाग ने एक परेषण के संबंध में ₹10.70 लाख की एक माँग की पुष्टि की (दिसम्बर 2009)। तथापि, दूसरे के संबंध में, यद्यपि उसने एक मांग पत्र जारी कर दिया था, उसने यह भी बताया कि आपत्ति न्यायिक रूप से मान्य नही थी क्योंकि इसे सांविधिक समय सीमा के छः माह बाद उठाया गया था।

विभाग का उत्तर सही नही था क्यों कि प्रारंभ में आपत्ति जुलाई 2007 में सांविधिक समय सीमा के ठीक भीतर उठाई गई थी। तथ्यों के विवरण जो कि लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में परवर्ती अवस्था होती है, उसके बाद दिसम्बर 2009 में जारी की गई थी।

हमने मंत्रालय को मामला सूचित किया था (अक्तूबर 2010), उनका उत्तर प्राप्त नही हुआ था (दिसम्बर 2010)।

## 5.5 शाफ्ट एसेंबली ड्राइव्स

'शाफ्ट एसेंबली ड्राइव्स' को नामावली को सुमेलित प्रक्रिया (एचएसएन) में सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 8708 के अन्तर्गत नोट की शर्तों के अनुसार, सीटीएच 8708 के अन्तर्गत मोटर वाहनों के भाग और उपसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जाना होता है। जहाँ पर यह विशिष्ट रूप से उल्लिखित है कि सभी प्रकार के गियर बाक्स, शाफ्ट (इंजन के अन्य आन्तरिक भागों के अलावा) और अन्य ट्रान्समिशन भाग और घटकों (उदाहरण के लिए प्रोपेल्लर शाफ्टस, हाल्फ शाफ्ट्स इत्यादि) को इस शीर्ष के अंतर्गत भागों और उपसाधनों के रूप में सम्मिलित किया जाना होता है।

मैसर्स टोयोटा किरलोस्कर मोटर प्रा. लिमिटेड ने चैन्नई (समुद्री) कमीश्नरी से ' शाफ्ट एसेंबली एफ आर ड्राइव्स' के 60 परेषण आयात किए (जून 2009 से फरवरी 2010)। विभाग ने आयातित माल को सीटीएच 84831099 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया और बीसीडी 10 प्रतिशत की दर से लागाने के बजाय 7.5 प्रतिशत की दर से लगाई। हमने पाया कि आयातित माल वास्तव में कार निर्माण में प्रयोग होने वाले आटोमेटिक भाग थे और किसी मशीनरी का भाग नही थे और उसका वर्गीकरण सीटीएच 87085000 के अन्तर्गत किया जाना चाहिए था। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹12.43 लाख का शुल्क कम लगाया गया।

जब हमने इस पर ध्यान दिलाया (जनवरी/मार्च 2010), विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2010) कि शाफ्ट एसेंबली ड्राइव्स इंजन (ऊर्जा का स्रोत) और पहियों के बीच एक संयोजक शाफ्ट था और आयातित घटक ट्रांसमिशन शाफ्ट के रूप में कार्य करता था। इसके अलावा, क्योकि माल विशिष्ट रूप से सीटीएच 84831099 के अन्तर्गत व्यवस्थित था, निर्धारण ठीक था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नही था। आयातक अध्याय 87 के अन्तर्गत आनेवाले मोटर वाहन का निर्माता है और माल का उपयोग केवल/ सिद्धान्ततः मोटर वाहनों ने निर्माण के लिए होना था। इसके अतिरिक्त, आयातित माल सीटीएच वर्गीकरण के अन्तर्गत सीमा शुल्क सूची के अनुभाग/खंड XVII के नोट के प्रावधानों द्वारा अलग नही किया गया था। इसके अलावा तकनीकी लिखित विवरण से पता चला कि "शाफ्ट एसेंबली ड्राइव और कुछ नही किन्तु एक ड्राइव शाफ्ट था, जो कि एक ट्रांसमिशन माध्यम था जिसका उपयोग गियर बाक्स से रोड व्हील को ऊर्जा का स्थानांतरण था।" इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क टैरिफ के अनुभाग/खंड XVII के नोट 3 के अनुसार, एक भाग या उपसाधन जो कि उन अध्यायों के दो या अधिक शीर्षो के विवरण का समाधान करता हो को उस शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए जो उस उपसाधन के भाग के सिद्धान्ततः प्रयोग के अनुरूप हो। इसके अतिरिक्त, सीबीईसी ने अपने 9 जुलाई 1990 के परिपत्र में गियर बाक्सों का विशिष्ट वर्गीकरण सीटीएच 8708 के अन्तर्गत किया जब वह सीमा शुल्क सूची नियमावली 1985 के अनुभाग/खंड XVII के वाहन के साथ प्रयोग हेतु विशिष्ट रूप से बनाए गए थे। तदनुसार, आयातित माल को शीर्ष 8708 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना है क्योंकि उन्हें केवल मोटर वाहनों के भाग के रूप में प्रयोग किया जा रहा था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नही हुआ था (दिसम्बर 2010)।

### 5.6 माइक्रो -क्रिस्टलाइन वैक्स

'माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स' सीमा शुल्क सूची शीर्ष (सीटीएच) 27129010 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है। और मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) क्रमशः पाँच प्रतिशत और 14 प्रतिशत की दर से लगाया जाना है।

मैसर्स परफैट्टी वेन मेल्ला इंडिया प्रा. लिमिटेड हरियाणा ने ₹ 6.43 करोड़ मूल्य के 'माइक्रो क्रिस्टेलाइन वैक्स' के 23 परेषणें का आयात (जून 2009 से जनवरी 2010 तक) किया। विभाग ने आयातित माल को " कृत्रिम तरीके से बनाए गए वैक्स" के रूप में सीटीएच 340490 के अन्तर्गत गलत रूप से वर्गीकृत किया और बीसीडी 10

प्रतिशत की दर से और सीवीडी 8 प्रतिशत की दर से लगाई । इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 7.44 लाख का शुल्क कम लगाया गया।

जब हमने मामले के बारे में सूचित किया (अगस्त 2010), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया और बताया (दिसम्बर 2010) कि कम लगाए गए शुल्क की वसूली की प्रकिया प्रारम्भ कर दी गई थी । इसके आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2010)।

**नई दिल्ली** **(सुवीर मल्लिक)**
**दिनांकः** **प्रधान निदेशक (अप्रत्यक्ष कर)**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**नई दिल्ली** **(विनोद राय)**
**दिनांक :** **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**